भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 60
उत्तर देने की तारीख : 29.01.2026

एमएसएमई पंजीकरण पोर्टल की विशेषताएं

60. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे :
श्री अरुण नेहरू :
श्री संजय हरिभाऊ जाधव :
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकरण पोर्टल की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) महाराष्ट्र सहित पूरे देश में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधि कितनी है;

(ग) उद्यम पोर्टल के शुभारंभ (अर्थात् 1 जुलाई, 2020) से लेकर अब तक पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों की वर्ष-वार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित राज्य-वार और विशेषकर पेरंबालूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) महाराष्ट्र में जिला-वार सहित देशभर में उक्त योजना की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त योजना देश के एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) महाराष्ट्र में कृषि आधारित और ग्रामीण लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता देने के लिए की जा रही प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है;

(छ) उक्त योजना के अंतर्गत आज की तारीख तक रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(ज) वर्तमान में बीएसई, एसएमई और एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म सहित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध एमएसएमई इकाइयों की कुल संख्या कितनी है; और

(झ) जेडईडी प्रमाणन और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाओं के तहत प्राप्त लाभ का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (छ) : एमएसएमई की संशोधित परिभाषा, जो निवेश और टर्नओवर के युग्मित मानदंडों पर आधारित है, को वर्ष 2020 में अपनाया गया और दिनांक 26.06.2020 की अधिसूचना सां॰आ॰ 2119(ड) जारी की गई। व्यापार में सुगमता के लिए उद्यमों को सुविधा प्रदान करने हेतु, उद्यम के पंजीकरण के लिए दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की गई। उद्यम पंजीकरण पोर्टल स्वैच्छिक, पूर्णतया ऑनलाइन, निशुल्क, कागजरहित और स्व-घोषणा पर आधारित है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण के लिए किसी दस्तावेज या प्रमाण को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वचालित है और इसमें मंत्रालय की ओर से कोई मानवीय हस्तक्षेप शामिल नहीं है।

उद्यम पंजीकरण कोई स्कीम नहीं है। यह एक नि:शुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो देशभर के एमएसएमई को सरल और सुप्रवाही पंजीकरण प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अत:, उद्यम पंजीकरण पोर्टल के लिए राज्य-वार निधि आवंटित नहीं की जाती है।

दिनांक 01.07.2020 को इस स्कीम के आरंभ से और दिनांक 25.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार उद्यम पोर्टल पर, रिपोर्ट किए गए 33.34 करोड़ रोजगार के साथ, कुल 7.55 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत है।

उद्यम पोर्टल पर, उद्यम पोर्टल की शुरुआत से दिनांक 25.01.2026 तक, महाराष्ट्र राज्य सहित एमएसएमई का क्षेत्र वार ब्यौरा अनुबंध-I पर है।

एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एमएसएमई वर्गीकरण फ्रेमवर्क सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रावधान करता है। दिनांक 20.03.2023 की राजपत्रित अधिसूचना सां॰आ॰ 1296 (ड) के अनुसार, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण लाभ प्राप्त करने के लिए उद्यम पंजीकरण के समान माना जाता है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों सहित प्रथम बार उद्यम शुरू करने वाले उद्यमियों को पीएमईजीपी, क्रेडिट गारंटी स्कीम जैसी योजनाओं और एमएसएमई के अन्य सुविधा कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

(ज) : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), मुंबई से प्राप्त सूचना के अनुसार, एमएसएमई वर्गीकरण किसी भी एक्सचेंज में शामिल नहीं है। तथापि, सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ (आईसीडीआर) विनियम के अनुसार, दिनांक 27.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध एसएमई की संख्या निम्नानुसार है:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	**स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध एसएमई की संख्या**
बीएसई	498
एनएसई	544

(झ) : एमएसएमई-सस्टेनेबल (ज़ेड) प्रमाणन स्कीम दिनांक 28.04.2022 को शुरू की गई थी। ज़ेड प्रमाणन एमएसएमई के मध्य ज़ीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ज़ेडईडी) पद्धति को बढ़ावा देने की परिकल्पना करता है जो:

- एमएसएमई को नवीनतम प्रोद्यौगिकी, औजारों का प्रयोग करते हुए गुणवत्तापरक उत्पादों के विनिर्माण में प्रोत्साहित करने और सक्षम बनाने और वातावरण पर इसके न्यूनतम प्रभाव के साथ उच्च गुणवत्ता और उच्च उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए उनकी प्रक्रियाओं को निरंतर अपग्रेड करने में समर्थन प्रदान करना है।
- एमएसएमई में, प्रतिस्पर्धात्मकता वर्धन और निर्यात में सहायता प्रदान करने हेतु एमएसएमई में, ज़ेड विनिर्माण के लिए इकोसिस्टम विकसित करना।
- ज़ेड प्रक्रियाएँ अपनाने को बढ़ावा देना और सफल एमएसएमई के प्रयासों को मान्यता प्रदान करना।
- क्रमिक प्रोत्साहन के माध्यम से एमएसएमई को उच्च ज़ेड प्रमाणीकरण स्तरों तक पहुंच बनाने में समर्थन प्रदान करना।
- एमएसएमई सस्टेनेबल (ज़ेड) प्रमाणन के माध्यम से जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट उत्पादों की माँग पर सार्वजनिक जागरूकता में वृद्धि करना।
- सुधार की अपेक्षा वाले क्षेत्रों की पहचान करते हुए नीतिगत निर्णयों एवं निवेश प्राथमिकताओं में सरकार की सहायता करना।
- जीरो इफेक्ट समाधानों के लिए प्रोद्यौगिकी उन्नयन हेतु ज़ेड प्रमाणित एमएसएमई को 3 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है।

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 60, जिसका उत्तर दिनांक 29.01.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

उद्यम और यूएपी के तहत 01/07/2020 से 25/01/2026 तक कुल उद्यमों का राज्य वार ब्यौरा						
क्र.सं.	**राज्य**	**विनिर्माण**	**सेवा**	**व्यापार**	**कुल**	**रोजगार**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,011	10,076	7,641	21,728	3,54,033
2	आंध्र प्रदेश	7,65,346	16,99,282	13,36,978		1,95,60,301
3	अरुणाचल प्रदेश	13,921	10,439	22,478	46,838	2,71,505
4	असम	4,15,706	3,71,447	6,61,619	14,48,772	98,37,736
5	बिहार	7,36,446	12,27,823	21,54,390	41,18,659	1,65,68,205
6	चंडीगढ़	11,192	34,893	32,495	78,580	4,29,824
7	छत्तीसगढ़	2,33,575	4,21,776	6,52,027	13,07,378	43,58,083
8	दिल्ली	3,13,030	4,86,887	6,10,050	14,09,967	88,42,620
9	गोवा	26,612	63,197	37,508	1,27,317	4,84,247
10	गुजरात	11,44,173	13,40,156	17,63,105	42,47,434	1,65,96,279
11	हरियाणा	3,91,477	7,08,277	8,44,719	19,44,473	93,48,553
12	हिमाचल प्रदेश	63,379	1,20,622	1,49,386	3,33,387	14,27,051
13	जम्मू और कश्मीर	2,62,183	2,65,512	2,88,838	8,16,533	32,12,487
14	झारखंड	2,28,133	4,84,887	7,96,547	15,09,567	60,85,399
15	कर्नाटक	10,55,921	23,24,985	14,72,675	48,53,581	26,22,7205
16	केरल	4,67,291	7,76,645	5,50,961	17,94,897	61,94,172
17	लद्दाख	6,830	7,032	5,934	19,796	57,841
18	लक्षद्वीप	762	854	808	2,424	7,360
19	मध्य प्रदेश	7,88,409	13,09,574	25,77,505	46,75,488	15,09,2903
20	**महाराष्ट्र**	**20,34,747**	**37,89,919**	**40,29,708**	**98,54,374**	**33,51,0218**
21	मणिपुर	74,774	48,819	49,197	1,72,790	8,37,781
22	मेघालय	15,527	23,855	30,973	70,355	3,81,828
23	मिजोरम	10,543	11,432	28,726	50,701	2,66,805
24	नागालैंड	19,363	18,870	34,158	72,391	3,06,192
25	ओडिशा	4,90,380	7,48,899	11,01,619	23,40,898	11,36,8310
26	पुदुचेरी	20,587	50,551	34,938	1,06,076	4,26,521
27	पंजाब	4,48,646	7,54,958	8,73,227	20,76,831	91,77,672
28	राजस्थान	11,77,931	13,54,776	17,63,223	42,95,930	1,86,23,428
29	सिक्किम	8,547	12,771	13,769	35,087	1,41,598
30	**तमिलनाडु**	**14,96,654**	**26,77,756**	**18,54,569**	**60,28,979**	**3,13,06,207**
31	तेलंगाना	5,08,096	16,59,779	15,38,432	37,06,307	2,03,09,517
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	7,742	13,451	13,618	34,811	2,92,153
33	त्रिपुरा	54,538	95,301	1,58,129	3,07,968	12,51,540
34	उत्तर प्रदेश	16,23,547	22,45,524	43,93,847	82,62,918	3,61,41,777
35	उत्तराखंड	1,07,561	2,10,368	3,07,282	6,25,211	27,18,924
36	पश्चिम बंगाल	8,57,759	17,43,656	25,65,540	51,66,955	2,14,71,766
	कुल:-	**1,58,85,339**	**2,71,25,049**	**3,27,56,619**	**7,57,67,007**	**33,34,88,041**